

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरक्षित वेतनमान नियम 2017 के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफपी /रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी-I/II/III) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र० स०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्विती य व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/ पे-लेवल	
1	कृपाराम, उमावि भागसर, सादुलशहर- श्रीगंगानगर	से०नि० प्रधानाचार्य	01-05-1961	29-01-1991	30 YEAR	28-01-2021	29-01-2021	L-17
2	ओमप्रकाश सुथार, राउमावि बुधरवाली , सादुलशहर-श्रीगंगानगर	से०नि० प्रधानाध्यापक	02-05-1963	02-07-1990	30 YEAR	01-07-2020	02-07-2020	L-17

सत्यमेव जयते

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 24-9-2021

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-3/एसीपी/2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय-माध्यमिक शिक्षा
- 2 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 3 संबंधित संस्था प्रधान प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
- 4 संबंधित अधिकारी
- 5 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- 6 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर